

प्रति

श्री 3 पाठ्यक्रम
C/O श्री न्यायालय न्यायालय पाठ्यक्रम
लक्ष्मी कोठी
जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

विषय -
सदर -

- प्रायोगिक सत्र 2022-23 में अतिथि व्याख्याता हेतु चयन सूचना।
- 1 - छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय नया रायपुर का पत्र क्रमांक एफ 3-54/2022/38-1 नया रायपुर अटल नगर दिनांक 29/08/2022 एवं 07/09/2022
 - 2 - आउशि नया रायपुर का पत्र क्रमांक/563/126/आउशि/राज.स्था./2022 नया रायपुर अटल नगर दिनांक 08/09/2022

-:: 000 ::-

विषयान्तर्गत आपको सूचित किया जाता है कि पत्र क्रमांक 1 एवं 2 के द्वारा विषय - अतिथि व्याख्याता/ विद्वान हेतु आपको निम्न शर्तों के साथ आमंत्रित किया जाता है। आप दिनांक 13/09/2022 तक महाविद्यालय में निम्न शर्तों के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

सामान्य सूचनाएँ एवं शर्तें निम्नानुसार :-

01. माननीय उच्च न्यायालय छ0ग0 बिलासपुर द्वारा जारी अंतरिम राहत आदेश की छायाप्रति।
02. अतिथि विद्वानों को चयनित होने के पश्चात कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व एक शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। जिसमें कोई अपराधिक प्रकरण दर्ज न होना तथा किसी अन्य संस्था/महाविद्यालय में अध्यापन न करने का वचन देना होगा। अतिथि विद्वानों/व्याख्याता/किसी भी हैसियत से महाविद्यालय स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जायेंगे और लोक सेवा की विधि निहित परिभाषा के अंतर्गत लोक सेवक नहीं माने जाते हैं शपथ पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात की उम्मीदवार को व्याख्यान हेतु आमंत्रित किया जाएगा।
03. मानदेय- शिक्षकीय कार्य हेतु 40/45 मिनट के एक व्याख्यान के लिए रूपये 300/- (रूपये तीन सौ मात्र) प्रति व्याख्यान मानदेय होगा। अतिथि व्याख्याता व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक अतिथि व्याख्याता-एक दिवस में अधिकतम 04 व्याख्यान/पीरियड ले सकेंगे इस प्रकार अधिकतम प्रति दिन 1200/- (रूपये बाहर सौ मात्र) तथा अधिकतम प्रति माह 31200/- (रूपये इकतीस हजार दो सौ मात्र) का भुगतान किया जायेगा। प्रायोगिक कक्षाओं की गणना करते समय 03 प्रायोगिक कक्षाओं की 02 सैद्धान्तिक कक्षाओं के बराबर मान्य किया जाएगा।

लोक सेवा आयोग से नियुक्ति/स्थानांतरण/शासन के आगाभी आदेश/संतोषजनक सेवा न होने पर अतिथि व्याख्याता का पद बिना पूर्व सूचना के प्राचार्य समाप्त कर सकेंगे।

चयनित अतिथि व्याख्याता/विद्वान उपरोक्त अंकित तिथि पर महाविद्यालय में उपस्थित नहीं होने पर मेरिट सूची के अगले क्रम को आमंत्रित किया जावेगा/विज्ञापन जाने पर चयन प्रक्रिया पूरी की जायगी।

केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा जारी समय-समय पर कोविड-19 के संक्रमण के बचाव हेतु जारी निर्देशों का पालन करते हुए अध्यापन कार्य किया जाएगा।

(हस्ताक्षर)
प्राचार्य
शासकीय महाविद्यालय दीपका
जिला-कोरबा (छ.ग.)